विशेष प्रकाशन सं. 90
ISSN : 0972-2351

मात्स्यिकी और जलकृषि में जीविकोपार्जन मसले

भाकृ अनुप
ICAR

केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)
कोचीन - 682 018

जीविकोपार्जन सुरक्षित करने में दायित्वपूर्ण मात्स्यिकी की प्रासंगिकता

रामचंद्रन सी.

केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन - 682 018, केरल.

विश्वभर में यह मान लिया जा रहा है कि मात्स्यिकी जीवशास्त्रीय सीमाओं के साथ समायोजित एक समाज-आर्थिक प्रक्रिया है। निरंतर दोलायमान रहनेवाले खुले समुद्रों में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अपने सौभाग्य की खोज कर सकता है। मत्स्यन संबंधी इस खुली नीति ने मत्स्यन से जीविकोपार्जन करनेवाले आम मछुआरों को किसी दुखांत कथा का नायक बना लिया है जो कि हमेशा गरीबी की आँसू घूँट रहे। प्रग्रहण मात्स्यिकी से करोडों रुपयों की विदेशी मुद्रा कमाये जाने पर भी सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को आगे रखते हुए हमारे मछुवारों की स्थिति को तुले जाएं तो उनकी गरीबी की प्रचंडता बढ जाने की संभावना ही दिखाई पडती है।

मात्स्यिकी को जीविकोपार्जन के रूप में स्वीकारे लोगों को मात्स्यिकी नीतियों और कम उत्पादकता से जुडी समस्याओं को झेलना पडता है अतः छोटे कारीगरी मछुवारों के जीविकोपार्जन उपाय बनाए रखने के लिए विचिंतन आवश्यक लगता है।

भारत के कारीगरी मछुवारों पर किए गए अधिकांश अध्ययनों ने उनकी कमियों पर प्रकाश डालने केलिए कोशिश किया था न कि उनको प्रदेय सुविधाएं जैसे जानकारी, दक्षता, सामूहिक पूंजी और प्रयोजनपरक प्रशिक्षण के बारे में।

टिकाऊ मात्स्यिकी प्रबंधन की कुंजी छोटे किसानों को अपनी गरीबी से मुक्ती पाने के अनुसार के सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार किया जाना है।

इस संदर्भ में खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के *उत्तरदायित्वपूर्ण मात्स्यिकी की आचरण संहिता* का सांगत्य उभर कर आता है। विश्व की मात्स्यिकी संपदाओं के टिकाऊ उपयोग करने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मतैक्य प्रकट करनेवाला यह मात्स्यिकी का पथप्रशस्तक

दस्तावेज है। छोटे पैमाने के किसानों को अपने कार्यक्षेत्र बढ़ाने या घटाने की गुंजाइश इस में है। बडे सेक्टरों के हितों से बचाते हुए मात्स्यिकी से अपनी जीविका अर्जित करने का रास्ता भी इस में बताया गया है। अतः संहिता में मात्स्यिकी की दीर्घकालीन टिकाऊपन के साथ आम मछुआरों के हितों की सुरक्षा करने के शर्तों के बारे में प्रतिपादन हुआ है।

जीविकोपार्जन अभिगम माने क्या है?

लोग-लोगों के वश में रही संपत्तियों, इस से जुडे रहकर प्रत्येक व्यक्ति या कुटुम्ब द्वारा किए जानेवाले कार्यकलापों और उनके बीच में कार्यरत मध्यवर्तियों (अनुसंधान संस्थाएं, विनियमन) के आपसी संबंधों की पहचान को जीविकोपार्जन अभिगम कहा जा सकता है। इस अभिगम के पीछे का सैद्धांतिक तत्व 'गरीबों के पास क्या नहीं है से बढ़कर क्या है' को पहचानना है। उनकी माँगों की पूर्ति करने या नीचे दिखाने से बढकर उनको अपनी कामयाबी पहचानने और अपने आप सुलझाने केलिए छोडना ही उचित अभिगम है।

जीविकोपार्जन अभिगम से छोटे पैमाने के मछुवारों की जीविका के संबंध में विवरण पेश करने के अलावा उनके द्वारा स्वीकार किए गए मार्गों में उन्नयन लाने को सुझाव भी दे सकते हैं।

संपत्तियाँ और कार्यकलाप

1. संपत्ति

कारीगरी मछुवारों की मुख्य संपत्तियाँ मत्स्यन गियर (बोट व नेट) है। कुछ लोगों के पास भूमि और कुच्छेकों के पास जलकृषि करनेवाले खेत है।

2. नीति और संस्थागत संदर्भ

इस में संपदाओं के उपयोग पर राज्य सरकार के विनियम और समुदाय आधारित नियमों को जोडा जा सकता है। सामाजिक संबंध भी एक अंग है उदाहरण केलिए तटीय समुदायों के परिवार व लिंग संबंधी आचार-विचार उनके काम पर प्रभाव डालता है।

3. रोज़गार में वैविद्यता

कारीगरी मछुए आय कमाने केलिए विविध प्रकार के धंधों में लगे रहते हैं। फिर भी विपरीत मौसमों में सभी प्रकार की आपदाएं और अपने माल के भाव में उतार-चढाव सहना पडता है।

4. आमदनी

मछली पकड निरंतर चलायमान समुद्र से किए जाने के कारण उनकी आमदनी पर अनिश्चिता होती है। समुद्र से पकड की शक्यता आकलित करते हुए अनुकूल और प्रतिकूल मौसमों में पकड संबंधी सुझाव देना भी आसान नहीं है।

मछली पकड संबंधी प्रबंधकीय अभिगम पूर्णतः सफल नहीं है। सिर्फ इस पर यह सुझाव दे सकता है कि कैसे, कब और कहाँ से मछली पकडी जाती है ताकि उत्पादकता को बनाए रखनेवाले पारिस्थितिक तंत्र के आन्तरिक कार्यकलाप कायम रखे जा सके। यह समझ लिया जा रहा है कि पर्यावरणीय अवनति हो जाने पर उसे रोकने की तकनीक हमारे पास नही है।

यदि समुद्रों की उत्पादकता परिरक्षित रखने की तकनीकियाँ हमें खुश नहीं करेंगी तो उस से बचते रहने का मार्ग क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश खाद्य और कृषि संगठन के उत्तरदायित्वपूर्ण मत्स्यन संबंधी आचरण संहिता में किया गया है। इस विषय पर संहिता में 12 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 6.1 में यह बताया गया है कि 'जिस प्रकार मछली पकडने का अधिकार हमें प्राप्त है उस प्रकार उसे दायित्वपूर्ण ढंग से निभाने की बाध्यता है'। संहिता का सतर्कता अभिगम बताता है कि 'पर्यावरण में किसी प्रकार का नष्ट हो जाने पर उस अवनति को रोकनेलायक या दूर करने लायक कम लागत की प्रौद्योगिकियों का अभाव है'।

संहिता की सब से बडी सविशेषता यह है कि यह *स्वैच्छिक*

है। अन्य अन्तर्राष्ट्रीय करारों के विपरीत संहिता के उल्लंखन होने पर किसी भी न्यायालय में इस पर हर्जी नहीं कर पायेंगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि संहिता अप्रायोगिक या निष्प्रभावी है। संहिता के शर्तों का कार्यान्वयन करने का अधिकार प्रत्येक प्रांतों का है अतः प्रत्येक प्रांत अपने स्थानविशेष के अनुसार मछुवारों और इस में लगे हुए विविध संस्थाओं के सहयोग से दायित्वपूर्ण मात्स्यिकी को लागू करने के अनुकूल उपाय लिया जा सकता है। अतः पणधारियों, मछुवारों, संसाधकों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के सहयोगी अभिगम से इसका कार्यान्वयन साध्य होता है।

इसे मानते हुए केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने अपनी एन.ए.टी.पी. परियोजना में उत्तरदायित्वपूर्ण मात्स्यिकी संबंधी आचरण संहिता का प्रचार करने की कोशिश की थी। इस पर तैयार किए मोड्यूल में पत्र-पत्रिकाएं, अनिमेशन फिल्म आदि 13 टूल्स थे। व्यापक प्रचार की दृष्टि से अंग्रेजी व समुद्रवर्ती राज्यों की भाषाओं का प्रयोग इन टूलों में किया था। इस पर एक राज्य व्यापक अभियान भी चलाया था। प्रत्याशित किया जाता है कि इस अभियान से 85% मछुवारे दायित्वपूर्ण मत्स्यन की बातें समझ ली है। संदेह नहीं सी एम एफ आर आइ द्वारा दिया गया यह योगदान भारत के मात्स्यकी सेक्टर के प्रबुद्धीकरण के लिए सहायक निकल जायेंगे।